दूरभाष / फैक्स 0135–2764075
UN-80

# कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग
## उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
403 / 1 इन्दिरा नगर, देहरादून– 248001
e-mail : cgmnirmanwing@yahoo.com, gmnirmanwing@gmail.com

पत्रांक 4652 / स्वास्थ्य विभाग / 167 दिनांक 30-10-2023

**ई–मेल द्वारा**

सेवा में,
रजिस्ट्रार,
भारतीय वास्तु कला परिषद,
इण्डिया हेबीटेड सेन्टर, कोर–6 ए,
प्रथम तल लोधी रोड़ नई दिल्ली।

**विषय :–उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा रूद्रपुर स्थित मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के निर्माण में वास्तुविद् बदलने के संदर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सीए / 80 / 2023 / एओए दिनांक 05.10.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर के निर्माण में पूर्व नियोजित वास्तुविद् मै0 एनार्च कन्सल्टेन्ट प्रा0 लि0 की सेवायें कथित रूप से बिना उचित शुल्क भुगतान किये समाप्त किये जाने तथा किसी अन्य वास्तुविद् की सेवायें लिये जाने के संदर्भ में चाही गयी आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है :–

1. उपरोक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के निर्माण हेतु पूर्व से निर्धारित कार्यदायी संस्था **'इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड' (EPIL)** द्वारा उक्त निर्माण की आर्किटेट्स, स्ट्रक्चल डिजाईन एवं प्राक्कलन गठन हेतु फर्म मै0 एनार्च कन्सल्टेन्ट्स (प्रा0लि0) नोएडा उ0प्र0 को अनुबन्धित किया गया था तथा वास्तुविद् सेवायें प्रदान करने के फलस्वरूप कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित वास्तुविद् को तत्समय तक दी गयी सेवाओं हेतु शुल्क का भुगतान किया गया होगा।

2. उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–05 के कार्यालय ज्ञाप **संख्या–68452 / XXVII (5) / 2022(E-7804)** देहरादून दिनांक 04.10.2022 द्वारा जनपद–ऊधमसिंह नगर, में राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु पूर्व नामित कार्यदायी संस्था 'इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड' (EPIL) के स्थान पर **'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम'** नामित करते हुये निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु पूर्व चयनित कार्यदायी संस्था (EPIL) द्वारा गठित एवं शासन द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित प्राक्कलनों की दरों ड्राइंग डिजाईन के अनुसार कराये जायेंगे। एवं समस्त निर्माण कार्य, स्ट्रक्चर ड्राइंग को आई0आई0टी0 / एन0आई0टी0 से टेस्ट एवं वैट कराकर शासनादेश संख्या 424 / XXVIII(5) / 2023–20(मे0का0) / 2020 दिनांक 26.03.2021 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही सम्पादित कराये जायेंगे।

3. शासन के उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रपुर के पत्रांक 1532 / मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर / 02 दिनांक 07.10.2022, 2629 / मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर / 03 दिनांक 02.11.2022, 1959 / मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर / 17 दिनांक 30.12.2022 एवं 1588 / मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर / 66 दिनांक 01.08.2023 द्वारा महाप्रबन्धक (EPIL) से भी डिजाईन एवं ड्राइंग से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। साथ–साथ पूर्व नियोजित वास्तुविद् को किये गये भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख भी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, लेकिन डिजाईन एवं ड्राइंग से सम्बन्धित अपूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के कारण अधूरे अभिलेख का उपयोग योजना निर्माण में कराया जाना संभव नहीं था।

Council of Architecture
e-coa
11/2023/4336A
08 NOV 2023
Forwarded To Registrar

30/10

4. शासन के उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रपुर के पत्रांक 892/मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर/23 दिनांक 29.04.2023 एवं कार्यालय महाप्रबन्धक (कु0), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी के पत्रांक 1446/निविदा–अनुबन्ध/ऊधमसिंह नगर/146 दिनांक 11.05.2023 द्वारा मै0 एनार्च कन्सल्टेन्ट्स, प्रा0 लि0 से उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राइंग एवं डिजाईन हेतु निम्न अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ताकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाईन को आई0आई0टी0/एन0आई0टी0 से टेस्ट एवं वैट कराया जा सके। :–

(i) Design in STAAD file of project.
(ii) Drawing in Auto CAD of the Project.
(iii) Architectural drawing- 04 Set.
(iv) Structural drawings – 04 Set.
(v) Soil Testing report.
(vi) Site plan – 02 Set.
(vii) Estimate.

लेकिन मै0 एनार्च कन्सल्टेन्ट द्वारा चाही गयी अभिलेख विभाग को समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराये गये। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इनके द्वारा पूर्व नियोजित कार्यदायी संस्था को भी किसी भी प्रकार का सहयोग नही करने के क़ारण मौके पर किये गये निर्माण को तकनीकि दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा ध्वस्त किये जाने संस्तुति की गयी।

5. उपरोक्तानुसार मै. एनार्च कन्सल्टेन्टस प्रा0लि0 द्वारा किये गये वास्तुविद्, स्ट्रक्चर, डिजाईन एवं ड्राइंग के कार्यों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उत्तराखण्ड पेयजल निगम को समय से उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं उक्त डिजाईन ड्राइंग के आधार पर निर्माण किये गये अधूरे परियोजना को आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा तकनीकि रूप से उचित नहीं पाये जाने के कारण निर्मित कार्य को ध्वस्त किया गया एवं शेष नये निर्माण कार्य हेतु **मैं पवन भट्ट एसोसिएट्स, बरेली** की वास्तुविद् सेवायें लेकर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु उन्हें शेष कार्यों के वास्तुविद् एवं अन्य कार्यों की सेवायें हेतु ही शुल्क दिया जाएगा। मै0 एनार्च कन्सल्टेन्ट एवं प्रा0 लि0 द्वारा पूर्व में किये गये वास्तुविद् कार्यों हेतु यदि कोई देनदारियां शेष होती है तो मै0 ई0पी0आई0एल0 से अपना शेष भुगतान (यदि कोई हो) प्राप्त करने तथा शुल्क सम्बन्धी अन्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा किसी भी तरह से, किसी स्तर पर वास्तुविद अधिनियम 1972 अथवा अन्य किसी नियम/विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

भवदीय,

30/10

(एस0के0 बर्नवाल)
**महाप्रबन्धक (गढ़0)**

**पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (कु0), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।
3. मै0 मै0 एनार्च कन्सल्टेन्ट प्रा0 लि0, कन्सलटिंग इंजीनियर्स प्लानर्स एण्ड आर्किटेक्ट, बी–66, सेक्टर–63, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
4. मै0 पवन भट्ट, पी–6/7, दीन दयाल पुरम, नियमर बी0बी0एल0 स्कूल, बरेली (उत्तर प्रदेश)।
5. महाप्रबन्धक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड' (EPIL), एन0आर0ओ0, कोर–3, स्कीप कॉम्पलैक्स–7, लोधी रोड़ नई दिल्ली।

**महाप्रबन्धक (गढ़0)**

E-Mail ID- pmrudrapurusn@gmail.com

# कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई
# उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

कलैक्ट्रेट परिसर (मण्डी निदेशालय के सामने), रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), पिन– 263153

पत्रांक 1588 /मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर/ 66 दिनांक 01/08/2023
सेवा में,

महाप्रबन्धक,
इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि0 (ई0पी0आई0एल0),
एन0आर0ओ0, कोर–3, स्कोप कॉम्पलेक्स–7,
लोधी रोड, नई दिल्ली।

विषय– राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर के अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक 1532/ मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर/ 02 दिनांक 07.10.2022 जोकि परियोजना प्रबन्धक, इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि0 (ई0पी0आई0एल0) रूद्रपुर, (ऊधमसिंह नगर) को प्रेषित एवं आपको पृष्ठांकित किया गया था, तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1629/ मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर/ 03 दिनांक 02.11.2022 जो कि आपको प्रेषित किया गया था, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 06.12.2022 को योजना हस्तान्तरण के समय मे उपलब्ध कराये गये अभिलेखों मे भी उपरोक्त पत्रांको द्वारा वांछित अभिलेखों मे से कई अभिलेख या तो छायाप्रति के रूप में अथवा अपूर्ण अभिलेख प्राप्त कराये गये हैं। महोदय पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 1959/ मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर/ 17 दिनांक 30.12.2022 द्वारा वैटेट स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की मूल प्रति उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु उपरोक्त पत्रांको के अनुसार वांछित अभिलेख अभी तक भी इस कार्यालय को प्राप्त नही होने के कारण निर्माण कार्यो से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही किये जाने मे काफी कठनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः कृपया निम्नलिखित अभिलेख/ ड्राइंग एवं डिजाइन यथाशीघ्र निम्न प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. आगणन की साफ्ट कापी।
2. वैटेट स्ट्रक्चरल ड्राइंग मूल कॉपी (Original Copy)
3. विद्युत यांत्रिक से सम्बन्धित ड्राइंग एवं डिजाईन।
4. प्लंबिंग/ सेनेटरी से सम्बन्धित ड्राइंग एवं डिजाईन।
5. एच0वी0सी0 से सम्बन्धित ड्राइंग एवं डिजाईन।
6- Firefighting Plan.
7- Design in STAAD file of project. (Soft Copy)
8- Drawwing in Auto CAD of the Project. (Soft Copy)

क्रमशः....(2)

e mail:- gmofficehaldwani@gmail.com, gmofficehaldwani@yahoo.com
दूरभाष / फैक्स 05946-297802

# कार्यालय महाप्रबन्धक (कु0), निर्माण विंग

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
ई-32 ग्राम फार्म, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल।

पत्रांक 1556 / निविदा-अनुबन्ध / ऊधमसिंहनगर / [illegible] दिनांक 19 . 5 . 2023

ई-मेल द्वारा

सेवा में,

मै0 एनार्च कन्सलटेन्ट्स (प्रा0) लि0,
कन्सलटिंग इन्जीनियर्स प्लानर्स एण्ड आर्किटेक्ट्स,
बी-66, सेक्टर-63,
नोएडा (उत्तर प्रदेश)।

विषयः- राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) की स्थापना से सम्बन्धित समस्त ड्राईंग डिजाईन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक 1964 / स्वास्थ्य विभाग / 61 दिनांक 10.05.2023 जो [illegible] एवं इस कार्यालय के साथ-साथ अन्य को भी पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आपकी फर्म को पूर्व कार्यदायी संस्था इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (EPIL) द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर की आर्किटेक्ट,स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं प्राक्कलन गठन हेतु अनुबन्धित किया गया था तथा वास्तुविद सेवायें प्रदान करने के फलस्वरूप आपके द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (EPIL) से शुल्क भी प्राप्त किया गया।

वर्तमान में शासनादेश संख्या 6845[illegible]-7804 देहरादून दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 द्वारा 'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम' को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त के क्रम में परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंहनगर के कार्यालय पत्रांक 892 / मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर / 23 दिनांक 29.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिससे उनके द्वारा ड्राईंग एवं डिजाइन आपके [illegible] एवं आई0डी0 [illegible] में उल्लेखित विवरणानुसार 05 दिनों के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ताकि स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं डिजाईन को वैट कराया जा सके। परन्तु आपके द्वारा [illegible] तक भी वांछित ड्राईंग एवं डिजाईन परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम ऊधमसिंहनगर को उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिस कारण उक्त कार्य के ड्राईंग की Vetting भी नहीं हो पा रही है जबकि वास्तुविद सेवाओं हेतु EPIL द्वारा आपको भुगतान किया जा चुका है

[illegible] एवं अवगत कराना है कि इस कार्य के [illegible] अनुबन्ध की [illegible]

शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निर्माणाधीन भवनों के डिजाइन एव ड्राईंग

[illegible]

9- Architectural drawings. (Soft Copy)
10- Structural drawings. (Soft Copy)
11- Site Plan. (Soft Copy)
12- External Sewerge Plan.
13- External water supply Plan.
14- Dranage Plan.

साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि डी0पी0आई0एल0 द्वारा उपरोक्त योजना हेतु अनुबन्धित ऑर्किटेक्ट को वर्तमान तक किन–किन मदों के अन्तर्गत कितना–कितना धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, एवं ऑर्किटेक्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त ड्राइंग एवं डिजाईन, प्राक्कलन की सापट कापी आदि इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ए0के0 जोशी)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0 सं0 एवं दिनांक उक्तानुसार,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (गढ़0), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक (कु0), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।

परियोजना प्रबन्धक

(STAAD File & Auto CAD File) की स्ट्रक्चरल एवं सॉफ्ट कॉपी शीघ्रातिशीघ्र निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंहनगर को 04 दिनों के अन्तर्गत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि निर्माण कार्य मानकों के अनुसार समयान्तर्गत पूर्ण कराये जा सकें। राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर की ड्राईंग एवं डिजाईन का कार्य MCI मानकों के अनुसार भी नहीं किया गया है।

यदि आपके द्वारा निर्माणाधीन भवनों की डिजाइन एवं ड्राईंग (STAAD File & Auto CAD File) की स्ट्रक्चरल एवं सॉफ्ट कॉपी 04 दिवस अन्तर्गत निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंहनगर को उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो यह समझ लिया जायेगा आप कार्य करने के इच्छुक नहीं है, जिस हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी। इसके लिए आप पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय

(कपिल सिंह)
महाप्रबन्धक

पृ0 संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:–

1– मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2– महाप्रबन्धक (गढ़वाल), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3– परियोजना निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधमसिंहनगर।

महाप्रबन्धक

E-Mail ID- pmrudrapurusn@gmail.com
फैक्स एवं दूरभाष सं0– 05944 250187

# कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई
## उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

G-26

कलैक्ट्रेट परिसर (गण्डी निदेशालय के सामने), रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), पिन– 263153

पत्रांक ३१२ मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर / 23 दि0 [illegible] / [illegible] / 2023

सेवा मे,

ENARCH CONSULTANTS PVT. LIMITED,
CONSULTING ENGINEERS,
PLANNER & ARCHITECTS,
B-66, SECTOR-63,
NOIDA- 201401 (U.P.).

विषय :– राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) की स्थापना से संबन्धित समस्त ड्राइंग, डिजाइन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–05 के कार्यालय ज्ञाप सख्या 68452/ XXVII (5) / 2022 (E-7804) देहरादून दिनांक 04.10.2022 द्वारा जनपद ऊधमसिह नगर मे राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पूर्व नामित कार्यदायी संस्था "इन्जीनियरिंग **प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (EPIL) के स्थान पर**" उत्तराखण्ड पेयजल **संसाधन विकास एवं निर्माण** निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व समस्त निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल ड्राइग को आई0आई0टी0 / एन0आई0आई0टी0 से टेस्ट एवं वैट कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

पूर्व कार्यदायी संस्था "इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (EPIL) द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु आपको आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं प्राक्कलन गठन हेतु अनुबंधित किया गया था।

अतः शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालनार्थ ड्राइग एवं डिजाइन अपने हस्ताक्षर एवं आई0डी0 के साथ निम्न प्रकार इस कार्यालय को 05 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग एवं डिजाइन को वैट कराया जा सके।

1. Design in STAAD file of project
2. Drawing in Auto CAD of the Project
3. Architectural drawings– 04 Set.
4. Structural drawings – 04 Set
5. Soil Testing report.
6. Site plan – 02 Set.
7. Estimate.

संलग्नक– कार्यदायी संस्था नामित शासनादेश।

भवदीय

(ए0के0 जोशी)
परियोजना प्रबन्धक

पृष्ठ संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।

परियोजना प्रबन्धक

# रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज: ईपीआईएल कंपनी ने नहीं लौटाए 32 करोड़, होगी कानूनी कार्रवाई

## चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कंपनी को भेजा अंतिम नोटिस, होगी वसूली

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। ऊधमसिंह नगर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का निर्माण कार्यों मानकों के अनुरूप न करने पर ब्लैकलिस्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआईएल) ने 32 करोड़ रुपये की राशि नहीं लौटाई है। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कंपनी को अंतिम नोटिस जारी किया है। इसके बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जिलाधिकारी के माध्यम से रिकवरी की जाएगी।

प्रदेश सरकार ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था ईपीआईएल को 50 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। कंपनी ने लगभग 31.78 करोड़ की राशि मेडिकल कॉलेज के एक हिस्सा बनाने पर खर्च की। लेकिन कंपनी ने जो काम किया, मानकों के अनुरूप सही नहीं पाया गया। आईआईटी रुड़की के सिविल यांत्रिकी विभाग की जांच में भी निर्माण कार्यों में खामियां पाई गई। आईआईटी ने जांच रिपोर्ट में निर्माण ढांचे को गिराने की सिफारिश की। इसके अलावा नियोजन विभाग ने निर्माण कार्यों की तृतीय पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए नामित संस्था क्वालिटी आस्ट्रिया सेंट्रल एशिया से निर्माणाधीन भवनों के गुणवत्ता जांच कराई। इस पर शासन ने 14 निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने का फैसला लिया था। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट घोषित कर निर्माण कार्यों पर खर्च की गई 31.78 करोड़ की राशि ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए। कंपनी की ओर से पैसा न लौटाने पर विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है।

### नोटिस का जवाब न मिलने पर जिलाधिकारी के माध्यम से होगी रिकवरी

चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना का कहना है कि कंपनी को नोटिस दिया गया। इसके बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर डीएम के माध्यम से रिकवरी के लिए आरसी जारी किए जाएंगे।

# उत्तराखंड की अंडर 18 टेनिस वॉलीबाल टीम का हुआ चयन

कालाढूंगी। उत्तराखंड टेनिस वॉलीबाल एसोसिएशन के महासचिव मनमोहन सिंह बसेड़ा ने बताया कि बुधवार को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड की अंडर 18 टेनिस वॉलीबाल टीम का चयन किया गया। चयनित टीम पुणे में होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।

टीम में कप्तान गौरव बाला, विप्लव अधिकारी, मोहित गोलदार, प्रीतेश आयुष, मोहित सरदार चुने गए। टीम कोच उपेंद्र मंडल, टेनिस वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉ. नागेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष परमवीर सिंह, डॉ. सुरेंद्र सिंह नेगी, सूरज विश्वास, आदि मौजूद रहे। संवाद

फेरबदल

वन मुख्यालय ने 23 स्थानांतरण जनहित में और 13 स्वेच्छा से किए

GN - 80

वास्तुकला परिषद्
Council of Architecture

वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भारत सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय
(An Autonomous Statutory Body of Govt. of India, under the Architects Act, 1972)

Ref. no. CA/80/2023/AOA / 37810 / 37812 / 37814
October 05, 2023

**Er Anupam Ratan**
General Manager (Garwal)
Construction Wing
Uttarakhand Peyjal Nigam
11, Mohini Rd, Dalanwala, Dehradun,
Uttarakhand -248001
Mobile No: 9411535862
Email ID: cgmnirmanwing@yahoo.com

**Subject: Change in Architect by Uttarakhand Peyjal Nigam for Construction of Medical College, Development & integrated of existing hospital building at Rudrapur for Directorate of Medical Education, Uttarakhand at Rudrapur Distt. Udhamsingh Nagar Uttarakhand under Peyjal Nigam -reg.**

Dear sir,

The Council has received letter from M/s ENARCH Consultants Pvt. Ltd. Ref. No. ECPL/226/UK.PEYJAL/RUDRAPUR /2023/474 dated 11.08.2023 on the above subject and informing that M/s. ENARCH was appointed as Architectural & Engineering Consultant for providing consultancy services for construction of government Medical College at Rudrapur under Engineering projects (india) limited (i.e Executive Agency) (hereinafter reffered as EPIL).

Pertinent to the matter, it is informed the services of an Architect can be terminated by client following the due process as prescribed in the agreement entered into between Architect and client.

Further, a new Architect can be appointed after ensuring that the previous Architect has been paid his due fees as per the agreement.

The Uttarakhand Peyjal Nigam should not appoint a new Architect without proper settlement of fees and other related issues of the existing Architect.

The Architects are professionals and are required to follow the code of conduct and ethics as prescribed by the Council of Architecture in terms of Section 22 of the Architects Act, 1972. Accordingly, the Council has prescribed Architects (Professional conduct) Regulations, 1989.

As per Section 22(2) of the Architects Act, 1972 the code of conduct prescribed by the Council of Architecture by way of Regulations shall prevail over any other law enforce in India.

Contd...P/2

A line in reply of the action taken in the matter will be highly appreciated.

Thanking you,

Yours faithfully,

R. K. Oberoi
Registrar

Copy for information to:

1. **Ms. Shilpi Gupta**
   **Director**
   (COA No. CA/97/21195)
   M/s. Enarch Consultants (Pvt.) Limited
   B-66, Sector-63, Noida-201309
   Uttar Pradesh
   Email ID: enarchjobs@gmail.com
   enarchindia@rediffmail.com

2. **Ar. Pawan Bhatt**
   (CA/1999/25535)
   P 6/7, Deen Dayal Puram, Near B.B.L. School,
   Bareilly-243122, Uttar Pradesh
   9837059454
   Email ID: bhattpawan00@yahoo.co.in

DESPATCHED ON
SPEED POST, REGD. POST
06 OCT 2023
Vide D.R. Sl. No.
ORDY. POST, COURIER